न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. रिव्यू (आर्बिट्रेशन) संख्या 41/20 वर्ष 2020
GCMS No- 2020/00163

बउनवानीः– 1. शंकर लाल पुत्र हरिनारायण माली निवासी कुस्तला, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. श्योजीराम पुत्र हरिनारायण माली निवासी कुस्तला, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. मोजीराम पुत्र हरिनारायण माली निवासी कुस्तला, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. रूगनाथ पुत्र घीस्या माली निवासी कुस्तला, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. नोरतम पुत्र घीस्या माली निवासी कुस्तला, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
6. हरिराम पुत्र घीस्या माली निवासी कुस्तला, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए–45–46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर

(रिव्यू प्रार्थना पत्र विरूद्व रैफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 5/2017 बउनवानी शंकर लाल बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाई माधोपर निर्णय दिनांक 13.2.2019

उपस्थितः–1. श्री रमेश चन्द गोयल — वकील प्रार्थी
2. श्री अमित बंसल — वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांकः– 07.12.2021**

प्रार्थी द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा रैफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 5/2017 बउनवानी शंकर लाल बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाई माधोपर निर्णय दिनांक 13.2.2019 के विरूद्व इस कथन के साथ पेश किया है कि उक्त रैफरेन्स भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसमे दिनांक 13.2.2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उक्त रैफरेन्स गलत एक्ट मे प्रस्तुत करना बताकर प्रार्थीगण को मुआवजना नही दिया जा रहा है इसलिए उक्त रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में अन्तर्गत धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 की धारा 3 जी की उपधारा (5) संशोधित किये जाने बाबत न्यायालय मे प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत हाजा की पूर्व मिसल संख्या 5/2017 शंकर लाल बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी नि0दि0 13.2.2019 अवलोकन हेतु तलब की गयी साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 टोंक से सवाईमाधोपुर पथांश के दो लेन पेव्ड शेल्डर के निर्माण हेतु ग्राम कुस्तला के ख0न0 3508 रकबा 0.231 है0 की अवाप्ति के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा एक रैफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 5/2017 माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.2.2019 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर युक्तियुक्त विश्लेषण करके एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार राशि का निर्धारण किया जावे। जिसकी पालना में पत्रावली [illegible]र सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थीगणों को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत [illegible] अवसर दिया जाकर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दिनांक 12.1[illegible] ख0न0 3508 रकबा 0.231 है0 का सिचिंत भूमि की दर से मुआवजा [illegible] हेतु अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने पत्रांक भराराप्रा/पकाईब/[illegible]–116/14006/3/20[illegible]अ./स.मा./1329 दिनांक 13.3.2020 द्वारा लिखा है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भारत सरकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(प्रा.पत्र. रिव्यू (आर्बिट्रेशन) संख्या 41/2020 शंकर लाल बनाम सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति तहसीलदार स०मा०)

गजट अधिसूचना संख्या का.अ.4527(अ) दिनांक 19.12.2019 द्वारा भारत का राजपत्र द्वारा एन.एच.एक्ट 1956 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ हेतु नियुक्त किया गया है एवं जिला कलेक्टर का उक्त निर्णय दिनांक 13.2.2019 राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत लिया गया है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अवाप्ति पर लागू नही होना बताकर तहसीलदार के निर्णय दिनांक 12.12.2019 के अनुसार सिचिंत दर से मुआवजा देने से मना करते हुए उक्त प्रकरण जिला कलेक्टर द्वारा सुनवायी किये जाने एवं प्रार्थी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पक्ष भी सुने जाने बाबत निवेदन है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 6.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 के कार्यालय मे गये तो अप्रार्थी संख्या 2 ने बताया कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के प्रावधानो के तहत संशोधन कार्यवाही करे तो हम आपको मुआवजा राशि दे देगें। इस प्रकार जानकारी से प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 5/2017 के मीमो के प्रथम पृष्ठ की तृतीय पंक्ति मे रैफ. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 18 भूमि अवाप्ति के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 जी की उपधारा (5) संशोधित करवायी जाकर तदानुसार निर्णय दिनांक 13.2.2019 के टाईटल एवं निर्णय की प्रथम पंक्ति में संशोधन करने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत रैफरेन्स संख्या 5/2017 उनवानी शंकर लाल बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर निर्णय दिनांक 13.2.2019 के अन्तर्गत आदेश माननीय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे सुनने एवं निर्णित करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है चूंकि भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 पर लागू नही होते है यदि प्रार्थीगण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजो के संबंध मे कोई आपत्ति है तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 में वणिर्त प्रावधानो के अन्तर्गत ही कार्यवाही कर सकता है। चूंकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी एवं उक्त कार्यवाही में जो आदेश पारित किया गया है वह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार शुन्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य अनुतोष माननीय न्यायालय में प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 5/2017 के मीमो के प्रथम पृष्ठ की तृतीय पंक्ति मे रैफ. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 18 भूमि अवाप्ति के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 जी की उपधारा (5) संशोधित करवायी जाकर तदानुसार निर्णय दिनांक 13.2.2019 के टाईटल एवं निर्णय में संशोधन करने बाबत निवेदन किया गया। चूंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.2.2019 को उनवानी प्रकरण मे निर्णय पारित किया जा चुका है जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा भी दिनांक 12.12.2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 13.2.2019 मे ऐसी कोई लिपिकीय त्रुटि अथवा टाईपिंग अशुद्धि नही है ओर रिव्यू प्रार्थना पत्र केवल सिमित कारणो से किया जा सकता है। किन्तु उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी अधिनियम चैंज करवाना चाहता है ओर वह भी तब जबकि अधीनस्थ न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा भी निर्णय पारित किया जा चुका है। जो संभव नही होने के कारण प्राथीगण को किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले कार्यालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:36 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर